भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4017
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) संचार प्रौद्योगिकी

4017. थिरू दयानिधि मारन:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने व्हीकल-टू-व्हीकल (पी2वी) संचार प्रौद्योगिकी के लिए मानकों और कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में वी2वी प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए देश की सड़क अवसंरचना, डिजिटल कनेक्टिविटी और यातायात प्रबंधन प्रणालियों की तत्परता/तैयारी का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का अनिवार्य वी2वी हार्डवेयर के लिए वाहन मालिकों को वित्तीय सहायता या राजसहायता प्रदान करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या देशव्यापी स्तर पर इसे लागू करने से पहले अंतर-संचालनीयता, साइबर सुरक्षा जोखिमों, चालकों की तैयारी और लागत-प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई पायलट परियोजनाएं संचालित की गई हैं और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

उत्तर

(क) से (ख): देश में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की दृष्टि से दूरसंचार विभाग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के पश्चात दिनांक 10 जून 2026 को 5875-5905 मेगाहर्टज़ बैंड में सेल्युलर व्हीकल-टू-एवरीथिंग (सी-वी2एक्स) कम्युनिकेशन के लिए ऑन-बोर्ड यूनिट (ओबीयू) के उपयोग के मानकों को अधिसूचित किया है जिसमें व्हीकल-टू-

व्हीकल (वी2वी) भी शामिल है। यह वाहनों को अपने आस-पास की दूसरे वाहनों के साथ अपनी स्थिति की जानकारी जैसे लोकेशन, स्पीड इत्यादि साझा करने में मदद करता है जिससे ऐसी जानकारी मिलती है जो इंसानी नज़र या पारंपरिक सेंसर से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 665(ई) (दिनांक 22 जुलाई, 2026) के माध्यम से पूरे देश में एल, एम और एन श्रेणी की गाड़ियों में 'व्हीकल-टू-व्हीकल' (वी2वी) कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में संशोधन हेतु ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं।

(ग) जी नहीं महोदय। वी2वी कम्युनिकेशन के लिए ओबीयू (ऑन-बोर्ड यूनिट) निर्माताओं द्वारा गाड़ी के अभिन्न पुर्जे के तौर पर दिया जाता है।

(घ) ये मानक टास्क फ़ोर्स की सिफ़ारिशों के आधार पर अधिसूचित किए गए थे। इस टास्क फ़ोर्स में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और संबंधित उद्योग संस्थाओं के सदस्य शामिल थे। ये मानक दुनिया भर में अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम संव्यवहारों (ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस) के अनुरूप हैं।
